



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2(17)परावि/प्रशा.1/प्र.नि.समाप्त/वि.अ./10/पार्ट/ 1769 जयपुर,दिनांक:- 13/7/11

—: आदेश :-

निम्नलिखित विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर इनका मुख्यालय पंचायती राज विभाग, जयपुर किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम विकास अधिकारी	पदस्थापित पंचायत समिति
1.	श्री मदन लाल बैरवा	टोडारायसिंह (टोक)
2.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	कोटडा (उदयपुर)

उपरोक्त अधिकारी विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.14 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति विभागीय मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(गिरीश पाराशर)  
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त अजमेर/उदयपुर।
8. जिला कलेक्टर, टोक/उदयपुर।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोक/उदयपुर।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति टोडारायसिंह/कोटडा
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
13. आदेश पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.1)